न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2548–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–08–2014 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के प्रकरण कमांक 652/अपील/2012–13.

.....

जगदीश प्रसाद पिता श्री देवीप्रसाद जायसवाल
निवासी ग्राम टाण्डा तहसील कुक्षी
जिला धार म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–श्री नरसिंह मंदिर टाण्डा
तहसील कुक्षी जिला धार तर्फे पुजारी मंहत
रामफलदास गुरू बाबुदास द्वारा शिष्य
कौशल किशोरदास गुरू रामफलदास
निवासी ग्राम टाण्डा तहसील कुक्षी
जिला धार
2–अध्यक्ष आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित,
टाण्डा तहसील कुक्षी जिला धार म0प्र0
3–मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री के.के.द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदक
श्री एस.के.वाजपेयी, अभिभाषक–अनावेदक क्र.1 व 2
श्री अनिलकुमार श्रीवास्तव, पेनल अभिभाषक–अनावेदक क्र.3 शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 14/1/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–08–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कुक्षी के ग्राम टाण्डा स्थित भूमि सर्वे कमांक 223 रकबा 0.042 के आवासीय प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन हेतु प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–2/2011–12 दर्ज कर दिनांक 30–03–2013 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि रकबा 0.042 हेक्टेयर में से 0.31 हेक्टेयर पर संहिता की धारा 59(2) के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत आवासीय दर के मान से वर्ष 2011–12 से पुनर्निधारण रुपये 262/– एवं संहिता की धारा 59(5) के अनुसार प्रब्याजी रुपये 233/– निर्धारित किया गया । साथ ही प्रश्नाधीन भूमि में से पैकि रकबा 0.008 हेक्टेयर पर शासन द्वारा स्वीकृत व्यावसायिक दर रुपये 12 प्रति 100 वर्गफीट के मान से निर्माण वर्ष 2011–12 से पुनर्निधारण रुपये 105/– एवं प्रिब्याजी रुपये 120/– निर्धारित किया जाकर पूर्व भू–आगम रुपये 0.09 कम किये गये । आवेदक द्वारा बिना अनुमति के निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने के कारण संहिता की संशोधन धारा 172(4) के अन्तर्गत 50,000/– रुपये शास्ति भी अधिरोपित की गई । साथ ही ग्राम टाण्डा की भूमि सर्वे नम्बर 221 रकबा 0.004 हेक्टेयर पर आवेदक जगदीश प्रसाद द्वारा किये गये अतिक्रमण के संबंध में नायब तहसीलदार कुक्षी को निर्देशित किया गया कि राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 11–7–2012 में दिये गये दिशा निर्देश के संबंध आवेदक एवं नरसिंह मंदिर की समस्त भूमियों का सीमांकन नियमानुसार कार्यवाही की जाये। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 द्वारा कलेक्टर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 4–9–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–8–2014 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश दिनांक 4–9–2013 स्थिर रखते हुये अपील निरस्त

की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ दिनांक 9–12–2012 को उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा अनुरोध करने पर कि प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर कर दिया जाये प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित किया गया ।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विकय पत्र दिनांक 2–1–1959 की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है । प्रथम बार विकय की छाया प्रति कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई है, उसे अभिलेख पर लिये जाने हेतु कोई भी आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त छाया प्रति साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है, अतः उक्त विकय पत्र के आधार पर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नम्बर 223 एवं 225 अनावेदक कमांक 2 का विकय विपणन सहकारी समिति के पक्ष में किया ही नहीं गया है और उक्त भूमि आवेदक के दादाजी के नाम अंकित रही है, अतः वर्ष 1960 के ऐसे विकय पत्र जिस पर आवेदक के दादा के हस्ताक्षर भी नहीं है, आदेश पारित करने में कलेक्टर द्वारा वैधानिक त्रुटि की गई है और कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा भी अवैधानिकता की गई ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम दर्ज है और संहिता की धारा 117 के अन्तर्गत उक्त प्रविष्टियों के सही होने की अवधारणा की जायेगी जब तक कि उसे प्रतिकूल साबित न कर दिया गया हो । आवेदक के पक्ष में की गई प्रविष्टि को अवैधानिक प्रमाणित नहीं किया गया है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष यदि कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं तो वे आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने चाहिये तभी वे साक्ष्य में ग्राहय हैं । इस

ओर कलेक्टर और अपर आयुक्त द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है । प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का पिछले 50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है, वह उसके भूमिस्वामी है । इस स्थिति पर भी कलेक्टर द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

(4) संहिता की धारा 172 के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि के व्यपवर्तन हेतु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिक आदेश पारित किया गया है जिसे निरस्त करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

5/ आवेदक द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन सर्वे नम्बर 223 एवं 225 कुल रकबा 0.84 हेक्टेयर पर पूर्व में दिनांक 10–07–2010 को सेवा सहकारी समिति गोडाउन खाद्य वितरण केन्द्र के नाम से आवेदक जगदीश के स्थान पर नामान्तरण स्वीकृत किया गया है और उक्त नामान्तरण आदेश के निरस्त होने संबंधी कोई भी प्रमाण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है । अतः स्पष्ट है कि जब आवेदक उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमियों का भूमिस्वामी ही नहीं है तब उसे डायवर्सन करने का कोई अधिकार नहीं है और उक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा डायवर्सन की अनुमति देने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधि विपरीत आदेश जिसे निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है चूँकि कलेक्टर का आदेश वैधानिक आदेश है अतः उसे स्थिर रखते हुये अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकरण में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–08–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर